International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

भारत में चुनाव सुधार : एक परिदृश्य

सुमित कुमार
एम0 फिल0
राजनीति विज्ञान विभाग
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
Email :bhupi19288@gmail.com

शोध–आलेख–सार :लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि चुनावों में निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहे इसलिए भारतीय संविधान में एक पृथक अध्याय अनु0 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है। भारत में चुनाव सुधारों पर समितियाँ गठित की गई है। ताकि चुनाव में प्रासंगिता बनी रहे। हमारे निर्वाचन आयोग को इतनी शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वह अपनी उल्लंघता पर दण्डात्मक कार्रवाई कर सके। इस शोध पत्र में समय–समय पर सुझाए किए विभिन्न उपायों के बारे में वर्णन किया गया और उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया जो लोकतंत्र को धूमिल करने में सहायता देती रही है। इस प्रपत्र में चुनाव सुधारों को लागू करने में कठिनाईयों पर विवेचन किया गया है। जिसने व्यवहार मे लागू करके चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाया जा सके।

मुख्य शब्दः निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, प्रासंगिता, पारदर्शिता, समितियाँ, लोकतंत्र, नोटा।

शोध प्रविधि :इस शोध पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश द्वितियक स्रोतों से ग्रहण की गई हैं इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्त्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

प्रमुख बिन्दू :

1. तारकुंडे समिति (1974–75) से सुझाव।
2. गौस्वामी समिति (1990) के सुझाव।

3. चुनाव सुधार में 'नोटा' (NOTA) मतदान चिह्न का प्रयोग।
4. चुनाव खर्च सीमा में वृद्धि।
5. 20 वें विधि आयोग की रिपोर्ट।
6. सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव धर्म का उपयोग चुनाव में न करने पर

भूमिका : वर्षों से चुनावी सुधारों की जरूरत के बारे में बाते हो रही है। इस मुद्दे पर अनेक समितियाँ गठित की जाती रही है। जैसे कि गौस्वामी समिति (1990) वोहरा समिति (1991), संविधान समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001)। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 2004 में किए गए चुनावी सुधारों के सुझावों एवं दूसरे प्रशानकीय सुधार आयोग की रिपोर्ट भी धूल चाट रही है। धन–बल और बाहुबल से निपटने के संबंध में लिए विभिन्न समितियों ने सुझाव दिए। वहारा समिति ने यह नोट किया था कि कुछ राजनितिज्ञ इन गुंडा गिरोहो और प्राइवेट सशस्त्र सेनाओं के नेता बने हुए हैं। चुनाव आयोग के पास बहुत लंबी सूची है जिसे लागू करवाने के लिए यह कई वर्षों तक दबाव डाल रहा है।

पूर्व सूचना आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने 31 मार्च, 2017 को इंडियन एक्सप्रैस में छपे एक आलेख में कहा था 'चुनाव आयोग की सिफारिशों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है।

पहला सुझाव : चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा बनाने के लिए सुधार जिसके अंतर्गत अपराधों से दागदार राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक धन–बल पर अंकुश लगाने, नकारा और संदिग्ध राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने से संबंधित है।

दूसरा सुझाव : चुनाव आयोग को अधिक सशक्त, अधिक स्वतंत्र जैसे कि कोलिजियम के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वरीयता के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी पदोन्नति तथा उन्ही की तरह महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने के विरूद्ध संरक्षण बनाने के सुधार से संबंधित है।

तीसरा सुझाव :चुनाव प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने वाले सुधारो संबंधित है। (जैसे कि पोलिंग बूथ पर हुए मतदान का रहस्योत्पादन रोकने के लिए टोटलाइजर मशीनों का प्रचलन इत्यादि।) सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के परिचलन को नियमित करने की शक्तियों के लिए काफी समय से दबाव डाल रहा है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

चुनाव आयोग अपने निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण में स्वतंत्र निष्पक्ष, निर्भीक, बेखौफ चुनाव सम्पन्न कराए परन्तु चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव सम्पन्न कराते समय काले धन का प्रयोग, सरकारी तंत्र का दुरूपयोग, फर्जीमतदान, मतदान सूची में हेरफेर बलपूर्वक मतदान, धन बाहूबल के आधार पर वोटिंग आदि समस्याएं है। जिनका सामना चुनाव आयोग को करना पड़ता है। इन्ही चुनावी समस्याओं के निवारण के निराकरण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है जिनका वर्णन अग्रलिखित है :

तारकुंडे समिति (1974–75):इस समिति का गठन स्वतंत्र संस्था ''Citizen of Democracy'' की ओर से जयप्रकाश नारायण ने चुनावी सुधार के लिए किया था।

सुझाव : चुनाव व्यवस्था में सुधार करने के लिए इस समिति द्वारा जिन सुझावों को प्रस्तुत किया गया, उनमें से प्रमुख इस प्रकार थे :

1. आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आय–व्यय का पूरा हिसाब लिखना, समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए और निर्वाचन आयोग इसकी जाँच कराए।
2. प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिए जाए तथ प्रत्येक मतदाता को कार्ड बिना टिकटें लगाए डाक से भेजने की छूट दी जाए।
3. निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियों की 12 प्रतियाँ प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाए।
4. लोकसभा तथा विधानसभा के विघटन और नए चुनावों की घोषणा के बाद से सरकार काम चलाऊ सरकार की तरह से काम करे वह न तो नयी नीतियों की घोषणा करे और न ही उन्हें लागू करे। न नयी परियोजनएँ चालू करे और न ही उनका वादा करे। न नए ऋण अथवा भत्ते दे और न वेतन वृद्धि की घोषणा करे तथा ऐसे सरकारी समारोह आयोजित न करे जिनमें मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव भाग ले।
5. मताधिकार की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी जाए।
6. आकाशवाणी के संबंध में यदा समिति की रिपोर्ट पर अमल किया जाए तथा आकाशवाणी को निगम का रूप दिया जाए।
7. निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यों में निर्वाचन परिषदें बनायी जाए जो उसे सलाह दे।

इन परिषदों में विभिनन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। इसके अतिरिक्त मतदाता परिषदें भी बनाए जाएं जो निर्वाचन के समय होने वाली बुराईयों पर निगाह रखे तथा निर्वाचकों की निष्पक्षता की जाँच करे। उपर्युक्त सिफारिशों को चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण माना गया तथा इनमें से तारकुंडे समिति की अधिकतर मांगों को लागू भी किया गया।

गोस्वामी समिति (1990) : इस समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया था। गोस्वामी समिति द्वारा जिन सुझावों को प्रस्तुत किया गया, उनका वर्णन निम्नलिखित है :

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को न केवल सरकार के अंतर्गत किसी नियुक्ति बल्कि राज्यपाल के पद सहित किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
2. किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए।
3. सभी चुनावों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन (EVM) का प्रयोग किया जाए।
4. मतदान के लिए मोटर गाड़ियाँ चलाना, आग्नेय शास्त्र लेकर चलना, शराब की बिक्री और वितरण चुनावी अपराध घोषित होना चाहिए।
5. मतदाताओं को बहुउद्देशिय पहचान पत्र प्रदान किया जाए ताकि फर्जि मतदान पर अंकुश लगाया जा सके।
6. चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाए तथा उसे बहुसदस्यीय बनाया जाए।
7. सभी चुनावी मुद्दों की जाँच के लिए संसद की एक स्थायी समिति का गठन किया जाए।
8. निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ायी जानी चाहिए। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त की जानी चाहिए, जो 1/4 (एक चौथाई) नहीं पा सके।
9. मतदाता सूची तैयार करने अद्यतन करने आदि संबंधी सरकारी डॅयूटी का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. आयोग के पर्यवेक्षकों को कानूनी हैसियत प्रदान की जाए और उन्हें कुछ हालातों में मतगणना रोकने का अधिकार दिया जाए।

हालांकि गोस्वामी समिति में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। आगे चलकर

चुनाव सुधारों से संबंधित जिन आयोगों और समितियों का गठन किया गया, उनके लिए इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण प्रेरणादायक रही और समय—समय पर सरकार द्वारा इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 के द्वारा समिति की अनेक सिफारिशें लागू हो गई।

चुनाव सुधार में नोटा मतदान चिह्न का प्रयोग :

नोटा क्या है ?

NOTA का मतलब None of the Above, इनमें से कोई नहीं है।

इसका मतलब यह है कि अगर मतदाता को दिए गए चुनाव चिह्न एवं उनके उम्मीदवार में से कोई भी पद के लिए उपयुक्त नही लग रहा है तो वह NOTA पर निशान लगा सकता है। यह NOTA Symbol सभी EVM मशीन एवं सभी बैलट फार्म में सबसे नीचे दिये अंकित किए जाएंगे। इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशानुसार लाया गया है। इसमें मतदाता की चुनाव बहिष्कार करने की सुविधा मिलेगी। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार से खुश नहीं है तो NOTA विकल्प के जरिए इसे बता सकता है। NOTA का यह चिह्न National Institute of Design (NID) अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है इसके जरिए मतदाता को विशेष अधिकार दिए जाएंगे।

कब आया नोटा मतदान चिह्न (NOTA Symbol): वर्ष 2013 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस नोटा चिह्न को चुनाव में जगह दिलवाई थी। जिसका फैसला 27 सितम्बर, 2013 को किया गया था और इसे 11 अक्टूबर, 2013 को बैलट पेपर पर डाल दिया गया था। बिहार चुनाव 2015 के बाद से सभी चुनावों में अब NOTA चिन्ह को शामिल किया गया। चुनाव में NOTA विकल्प का प्रयोग करने वाला छतीसगढ़ पहला राज्य बना।

उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धिः सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में प्रत्याशी द्वारा व्यय करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि की है।

1. लोकसभा के लिए खर्च सीमा 40 लाख रूपये से बढ़ाकर 70 लाख रूपये तथा विधानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 16 लाख रूपये से बढ़ाकर 28 लाख रूपये कर दी गई है।
2. परन्तु अरूणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्ष्यद्वीप और पुदुच्चेरी के लिए लोकसभा चुनाव हेतु खर्च सीमा 54 लाख रूपए है। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव के लिए अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुदुच्चेरी में खर्च सीमा 20 लाख है।

चुनाव सुधारों पर 20वें विधि आयोग की रिपोर्ट :

न्यायमूर्ति ए. पी. शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को 12 मार्च, 2015 की प्रस्तुत की है जिनकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. आयोग की इस 255वीं रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्तियाँ कोलोज्यिम के माध्यम से करने तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के सुझाव शामिल है।
2. तीन सदस्यीय प्रस्तावित कोलेजियम में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त विपक्ष में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता तथा मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
3. मतदान को अनिवार्य करने के विचार को जहां विधि आयोग ने खारिज किया है, वही सदन का कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पूर्व ही सरकारी विज्ञापनों के नियमन का आयोग का सुझाव है।
4. चुनावी खर्च के मामले में आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले खर्च का दायरा बढ़ाकर चुनाव की तिथि की घोषणा से परिणाम की घोषणा तक किया जाना चाहिए।
5. कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चुनावी चन्दों के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए विधि आयोग ने कम्पनी कानून में बदलाव करने का सुझाव भी अपनी इस रिपोर्ट में कि दिया है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

6. आयोग ने कहा है कि चुनावी खर्च का हिसाब–किताब नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया जाए।
7. पेड न्यूज (Paid News) के मामले में चुनाव आयोग के विचारों से सहमति जताते हुए विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, जनप्रतिनिधित्व कानून में इसके लिए दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।
8. दो–दो सीटों से चुनाव लड़ने की परम्परा को हतोत्साहित करते हुए आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, इससे मतदाताओं का समय व्यर्थ ही बर्बाद होता है।
9. विधि आयोग ने कानून में बदलाब करके निर्वाचन आयोग में पंजीकृत पार्टियों को ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की है। इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 4 और 5 में संशोधन का सुझाव दिया गया है।
10. विधि आयोग ने देश की वर्तमान आर्थिक दशा को देखते हुए सरकार की ओर से चुनावी खर्च का भी समर्थन नहीं किया।

चुनाव में धर्म का आयोग करने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक :

1. सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी, 2017 को चुनावों में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
2. न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि, चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है।
3. विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि भगवान और मनुष्य का संबंध उसका व्यक्तिगत संबंध है। ऐसे में इसको इस्तेमाल चुनावों में नहीं किया जा सकता है।
4. धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट माँगना या मतदाताओं से मतदान नहीं करने के लिए कहना भ्रष्ट आचरण है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के 16 चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए भारत में तत्काल कुछ और चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे कुछ सुधार निम्नलिखित है :

1. चुनाव आचार संहिता को वैधानिक आधार प्रदान किया जाए व इसका उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को सौंपा जाए।
2. एक प्रत्याशी द्वारा दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाए।
3. प्रत्येक राजनीतिक दल का वार्षिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए।
4. जिन सांसदों और विधायकों के विरूद्ध अपराध के मामले लंबित है, उनको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए।
5. चुनावों की वित्तीय सहायता सरकारों के द्वारा भी प्रदान की जा सकती हैं। इसका समर्थन इन्द्रजीत गुप्ता समिति ने किया था।

निष्कर्ष :भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इतने बड़े लोकतंत्र की स्थापना में निर्वाचन आयोग ने एक प्रशंसनीय भूमिका निभाई है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों के परिणामों से मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सिफारिशें और भी हैं जिनका व्यवहार में प्रयोग करने पर चुनावों में निष्पक्षता व पारदर्शिता पूर्ण रूप से विकसित हो सके। हालांकि समय–समय पर गठित समितियों ने महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने का सुझाव बार–बार दिया है। परन्तु निर्वाचन आयोग की छवि पारदर्शी बनी रहे इसके लिए हमे निर्वाचन आयोग को कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह इसका प्रयोग स्वतंत्र व दण्ड के रूप में भी कर सके। आज चुनाव आम आदमी के लिए व्यर्थ प्रतीत होते हैं क्योंकि निरंतर चुनावी खर्चों में वृद्धि होती देखी जाती है। आज आवश्यकता चुनावी खर्च पर भी लगाम कसने की है।

संदर्भ–ग्रंथ–सूची :

1. महेश कुमार बर्णपाल ''भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था'' कासमॉस पब्लिकेशन, दिल्ली, 1 अप्रैल, 2017
2. आर. पी. जोशी व आर. एस. आढ़ा ''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : पुर्नसंरचना के विविध आयाम'' रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2000
3. बासुकी नाथ चौधरी, ''भारतीय शासन और राजनीति'' ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेअ लिमिटेड प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

4. बी. सी. नरूला, ''भारतीय राजनीति'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2016
5. कश्यप सुभाष, ''दल–बदल व राज्य की राजनीति'' श्रीवाली प्रकाशन, मेरठ, 1970
6. www.google.com
7. पत्र–पत्रिकाए (मासिक)